भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2289
20/03/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में तटीय कटाव

2289. श्री रायगा कृष्णैया:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों में तटीय कटाव के प्रभाव को कम करने और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कोई विशिष्ट कार्य योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में तटीय कटाव के प्रभाव को कम करने और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कोई विशिष्ट कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR), जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) का एक सम्बद्ध कार्यालय है, तटीय राज्यों को संवेदनशील क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है तथा तटीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तटरेखा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में शामिल है। तटीय सुरक्षा कार्य/शमन उपायों की योजना और कार्यान्वयन संबंधित समुद्रवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने तटीय क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 को अधिसूचित किया है। हालाँकि, तटीय नियम तट पर कटाव को नियंत्रित करने के उपाय स्थापित करने की अनुमति देते हैं। इस अधिसूचना में भारत की तटरेखा को अतिक्रमण और कटाव से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के साथ नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ) का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, तटीय सुरक्षा उपायों के लिए तटीय प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा के संग्रहण के महत्व को देखते हुए, केंद्रीय जल आयोग द्वारा "तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS)" विकसित की गई है। तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य विश्वसनीय, स्थल-विशिष्ट डेटा उपलब्ध कराकर प्रभावी तटीय संरक्षण योजना, कटाव शमन और जलवायु अनुकूलन को समर्थन प्रदान करना है।

(ख) और (ग) जी हाँ। तटरेखा प्रबंधन योजना (SMP) के भाग के रूप में, प्राथमिकता वाले हॉटस्पॉट स्थलों की पहचान की गई है और आंध्र प्रदेश सरकार ने तटरेखा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता का अनुरोध किया था जिसके लिए आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (APCZMA) और NCCR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, NCCR ने आंध्र प्रदेश तट के समानांतर निम्नलिखित स्थानों के लिए तकनीकी सहायता / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) उपलब्ध करवाई है:

क्र. सं.	स्थल	जिला	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति
1	SDSC-SHAR(सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र)	तिरुपति	SDSC-SHAR	DPR प्रस्तुत कर दी गई है; आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है; आंध्र प्रदेश द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
2	वोडालारेवु	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर कोनासीमा	ONGC	तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई गई।
3	कोरिंगा-उप्पाडा	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश सरकार	NDMA को DPR सौंपी गई।
4	विशाखापत्तनम-भीमुनिपत्तनम	विशाखापत्तनम	VMRDA	NDMA को DPR सौंपी गई।

इन कार्यनीतियों का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

****